कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

दूरभाष/फैक्स–0542 2585574 ई–मेल **dfovrns@yahoo.in**

पत्रांक– 1050 / 291 वाराणसी, सितम्बर 14 ,2018।

सेवा में,

वन संरक्षक

वाराणसी वृत्त, वाराणसी

विषय :– इलाहाबाद– वाराणसी रेलवे ट्रैक डबलिंग हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं 101 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रेलवे द्वारा इलाहाबाद – वाराणसी रेलवे ट्रैक डबलिंग मे संरक्षित वन भूमि 14.691 हे0 का प्रयोग किये जाने एवं इस पर स्थित 101 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

रेलवे विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को परीक्षणोंपरान्त संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार–(4) प्रस्ताव मुल में।

भवदीय

(मनोज कुमार खरे)

प्रभागीय वनाधिकारी

वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी

<u>संख्या / समदिनांकित</u>

प्रतिलिपि– डी. जी. एम. प्रोजेक्ट, रेल विकास निगम लि0, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(मनोज कुमार खरे)

प्रभागीय वनाधिकारी

वाराणसी वन प्रभाग वाराणसी

प्रस्ताव का राज्य क्रम संख्या–
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग–II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्तावक राज्य क्रम संख्या ....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान–वाराणसी

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	
	(1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	वाराणसी
	(3) वन प्रभाग	वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	14.691 हे0
	(5) वन की क़ानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(6) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)	प्रस्तावित दोहरीकरण रेल लाइन के निर्माण में बाधक 101 वृक्षों का प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न है।
	(7) हरियाली का घनत्व	0.1
	(8) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त नोट	भू–क्षरण की दृष्टि से प्रस्तावित क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की वन सीमा	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित वन का भाग है।
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां) तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय।	प्रस्तावित निर्माणाधीन स्थल से 10 किमी की परिधि में कोई वन्यजीव विहार / सेन्चुरी स्थित नहीं है।
	(11) क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं? यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं

	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है? यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1, कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता, परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?	14.691 हे0 संरक्षित वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं?	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र के आस–पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	मंझगाई क्षेत्र के काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत डुगडईया, बसवरियां एवं सिंधवा के क्रमशः 10 हे0, 10 हे0 एवं 9.38 हे0 अवनत वनभूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक का अनुरक्षण कार्य किया जायेगा। (जियोग्राफिकल मैप एवं टोको शीट संलग्न है)
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र के आस–पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत	संलग्न है।
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	रु0 37,02,600/– (रुपये सैंतीस लाख दो हजार छः सौ मात्र)
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।

11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः कालम–7 (11, 12) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए।	संलग्न है।
12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	
	(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	152674 हे0
	(II) जिले का वन क्षेत्र	551.20 हे0 (137.80 किमी0 संरक्षित वन भूमि)
	(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	40.4883 हे0, 12 मामले
	(IV) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	45.72 हे0
	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित भूमि	25.37 हे0
	(ख) वन भूमि पर	20.35 हे0
	(V) प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति (दिनांक 30.09.2017 तक)	45.72 हे0
	(क) वन भूमि पर	25.37 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	20.35 हे0
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित दोहरीकरण रेल लाइन निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का उपयोग परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि –

स्थान – वाराणसी

क्षेत्रीय वनाधिकारी
वाराणसी रेंज
वाराणसी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग
वाराणसी